

**परिशिष्ट-1.1**  
(संदर्भ: कडिका-1.3.; पृष्ठ-2)  
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कडिकाएँ

(रुँकरोडु में)

वर्ष	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
	नि० प्र० की सं०	कडिकाओं की सं०	राशि	नि० प्र० की सं०	कडिकाओं की सं.	राशि	नि० प्र० की सं०	कडिकाओं की सं.	राशि
2008-09	125	424	202.34	458	2,981	3,631.16	340	1,905	2,594.76
2009-10	90	388	368.90	550	3,093	6,201.27	357	1,822	1,763.32
2010-11	85	315	553.49	485	2,550	7,859.02	261	1,295	4,895.21
2011-12	3	15	10.12	83	569	7,132.96	83	536	11,967.18
2012-13	51	393	3,015.98	441	2,690	31,795.40	98	695	7,328.31
2013-14	154	1,150	1,611.16	549	3,300	16,018.60	169	1,168	16,840.80
2014-15	151	794	5,507.82	529	3,526	11,870.35	223	1,434	24,962.54
2015-16	190	976	1,955.32	583	4,405	13,989.42	188	1,293	11,011.16
2016-17	100	661	5,102.62	211	1,892	8,266.25	81	518	8,038.42
<b>कुल</b>	<b>949</b>	<b>5,116</b>	<b>18,327.75</b>	<b>3,889</b>	<b>25,006</b>	<b>1,06,764.43</b>	<b>1,800</b>	<b>10,666</b>	<b>89,401.70</b>

**परिशिष्ट-1.2**  
**(संदर्भ: कंडिका-1.3; पृष्ठ-2)**  
**निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंधित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार**

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		नि.प्र. की संख्या	लेखापरीक्षा में पाए गए घोखाघड़ी/ दुर्विनियोजन/गबन/हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वसूली एवं अधिक भुगतान के मामले	संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित लाभ	परिहार्य/अधिकाई व्यय	व्यर्थ/निरर्थक व्यय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय	एक योजना से दूसरे या एक शीर्ष से दूसरे में निधियों का विचलन	निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का एक साथ आहरण	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंध लगा दिए गए वस्तुओं या विशेष प्रकृति की वस्तुओं पर व्यय	निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वास्तविक जरूरत से अधिक भंडार/गोदाम का क्रय	धन का निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/ निधियों का अवरोधन	निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान	उपकरणों की अधिष्ठापना में देरी/निष्क्रिय उपकरण और तत्संबंधी परिणाम	उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि/निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएँ
2008-09	923	923	119	330	108	86	318	39	222	3	4	12	330	17	5	218	3,499	5,310
2009-10	997	997	154	297	164	141	314	48	234	3	3	1	292	25	21	311	3,295	5,303
2010-11	831	831	57	315	66	84	216	19	164	1	6	16	242	19	17	244	2,694	4,160
2011-12	169	169	9	62	51	20	53	6	25	2	0	4	70	5	2	78	733	1,120
2012-13	590	590	21	197	85	206	183	51	128	8	28	9	286	25	36	220	2,294	3,777
2013-14	872	872	102	213	145	233	291	43	119	13	74	13	439	34	40	324	3,535	5,618
2014-15	903	903	129	369	211	187	248	34	112	12	7	13	462	11	32	314	3,614	5,755
2015-16	961	961	58	275	207	324	400	114	207	25	12	62	539	17	23	445	3,966	6,674
2016-17	392	392	5	62	147	153	241	51	113	15	11	26	257	8	10	246	1,726	3,071
<b>कुल</b>	<b>6,638</b>	<b>6,638</b>	<b>654</b>	<b>2,120</b>	<b>1,184</b>	<b>1,434</b>	<b>2,264</b>	<b>405</b>	<b>1,324</b>	<b>82</b>	<b>145</b>	<b>156</b>	<b>2,917</b>	<b>161</b>	<b>186</b>	<b>2,400</b>	<b>25,356</b>	<b>40,788</b>

## परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कंडिका-1.5; पृष्ठ-4)

मार्च 2017 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा / विषयगत लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति	निष्पादन लेखापरीक्षा / विषयगत लेखापरीक्षा का नाम	लेखापरीक्षित इकाइयों की सं०	संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करनेवाले इकाइयों की सं०	जारी किए गए ज्ञापनों की सं०	ज्ञापनों की सं० जिनका पूरा उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं० जिनका आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं० जिनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1.	बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कामकाज पर निष्पादन लेखापरीक्षा	45	20	276	269	5	2
2.	बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	13	शून्य	32	30	2	शून्य
3.	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा	25	25	429	शून्य	334	95
4.	बिहार में शिक्षा के अधिकार, 2009 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	14	2	293	274	शून्य	19
5.	बिहार राज्य में धान की खरीद और चावल के वितरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	8	शून्य	91	91	शून्य	शून्य
6.	बिहार राज्य में ई-क्रय प्रणाली के कार्यान्वयन पर विषयगत लेखापरीक्षा	2	शून्य	38	38	शून्य	शून्य
7.	बिहार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन पर विषयगत लेखापरीक्षा	12	12	104	शून्य	97	7
8.	काराओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित काराओं के कामकाज पर विषयगत लेखापरीक्षा	16	शून्य	66	66	शून्य	शून्य
9.	मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना पर विषयगत लेखापरीक्षा	86	शून्य	29	2	21	6
10.	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना पर विषयगत लेखापरीक्षा	41	शून्य	9	1	6	2
	<b>कुल</b>	<b>262</b>	<b>59</b>	<b>1,367</b>	<b>771</b>	<b>465</b>	<b>131</b>

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कडिका-1.8; पृष्ठ-5)

राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लेखों का प्रस्तुतीकरण		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन		विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	टिप्पणी
			लेखों का वर्ष	दिनांक	लेखों का वर्ष	दिनांक		
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2014-15	1/7/2016	2014-15	14/6/2017	2014-15 तक	वर्ष 2015-16 से प्रमाणित वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2015-16 तक	2011-12	3/4/2014	2008-09 तक	27/8/2014	विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया	वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक की अवधि के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2012-13 से प्रमाणित वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10	2009-10	12/9/2013	2009-10	21/4/2014	2001-02 तक	वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा सौंपा नहीं गया है और प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में लेखापरीक्षा वर्ष 2003-04 से 2009-10 तक की अवधि के लिए धारा 19 (3) के तहत सौंपा गया था।
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2010-11 <sup>1</sup>	2012-13 2013-14	21/6/2016	2012-13 2013-14	26/7/2017	2011-12 तक	वर्ष 2010-11 तक के लिए लेखापरीक्षा नवम्बर 2006 में सौंपा गया। लेखापरीक्षा सौंपने का कार्य मार्च 2016 में विस्तारित किया गया। हालांकि, सौंपे जाने की अवधि का उल्लेख पत्र में नहीं किया गया है और प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालय को 7 अक्टूबर 2016 से डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।
5	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2014-15	2013-14	13/7/2015	2012-13 2013-14	28/10/2016	2013-14 तक	वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा सौंपा नहीं गया है और प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुमोदित वार्षिक लेखे को मांग की गई है, जो अभी तक अप्राप्त है।

<sup>1</sup> लेखापरीक्षा सौंपने की अवधि का उल्लेख किए बिना सौंपने का कार्य मार्च 2016 में विस्तारित किया गया।

परिशिष्ट-2.1  
(संदर्भ: कंडिका-2.1; पृष्ठ-7)  
बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य

क्रम सं.	अभयारण्य	अभयारण्य का नाम	अधिसूचना की तिथि	अधिसूचित क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)	संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी
1	वन्यजीव अभयारण्य	भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य	27/5/1976	680.94	मुंगेर
2		गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य	14/9/1976	138.34	गया
3		कैमूर वन्यजीव अभयारण्य	25/7/1979 एवं 20/4/2010	1,515.53	कैमूर (986.44 वर्ग कि०मी०) एवं रोहतास (529.09 वर्ग कि०मी०)
4		राजगीर वन्यजीव अभयारण्य	25/5/1978	35.84	नालन्दा
5		उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य	5/5/1978	8.87	बेतिया
6		वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान (आगे, वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान सहित वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व)	10/5/1978 एवं 6/9/1990 (880.78 वर्ग कि०मी०) 5/12/1990 (335.64 वर्ग कि०मी०) एवं 26/11/2013 (वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान सहित कुल क्षेत्र = 898.93 वर्ग कि०मी०)	898.93	वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व सं.1 एवं वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व सं.2
<b>कुल</b>				<b>3,278.45</b>	
1	पक्षी अभयारण्य	बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य	28/1/1997	1.98	वैशाली
2		कांवर झील पक्षी अभयारण्य	20/6/1989	63.12	बेगूसराय
3		कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य	5/7/1994	29.22	मिथिला
4		नागी डैम पक्षी अभयारण्य	27/7/1987	1.92	जमुई
5		नक्ती डैम पक्षी अभयारण्य	22/7/1987	3.33	
<b>कुल</b>				<b>99.57</b>	
<b>कुल योग</b>				<b>3,378.02</b>	
1	डॉल्फिन अभयारण्य	विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य	7/8/1991	गंगा नदी के 60 कि०मी० का फैलाव	भागलपुर

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कंडिका-2.8.1; पृष्ठ-14)

वर्ष 2012-17 के दौरान 12 वन्यजीव अभयारण्यों के आवंटन एवं व्यय

(अ) वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व का आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन एवं व्यय	के.प्रा.यो.* (व्याघ्र परियोजना)	13वां वित्त आयोग	राज्य योजना	राज्य गैर-योजना	कोश	सी.ए. एम.पी.ए.	कुल
2012-13	आवंटन	4.40	0	0	5.38	1.50	0	11.28
	व्यय	4.34	0	0	5.29	1.50	0	11.13
2013-14	आवंटन	4.92	0	0	6.92	7.45	0	19.29
	व्यय	4.84	0	0	6.90	4.30	0	16.04
2014-15	आवंटन	4.71	0.13	2.63	5.31	6.07	1.40	20.25
	व्यय	4.64	0.13	2.63	5.26	4.70	0.01	17.37
2015-16	आवंटन	3.85	0	2.20	5.46	2.09	1.94	15.54
	व्यय	3.83	0	2.20	5.39	1.33	1.69	14.44
2016-17	आवंटन	9.83	0	5.20	5.92	2.74	1.08	24.77
	व्यय	9.61	0	5.20	5.92	1.94	1.00	23.67
कुल	आवंटन	27.71	0.13	10.03	28.99	19.85	4.42	91.13
	व्यय	27.26	0.13	10.03	28.76	13.77	2.70	82.65

(ब) पाँच अन्य वन्यजीव अभयारण्यों का आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वन्यजीव अभयारण्य का नाम	आवंटन/ व्यय	के0प्रा0यो0*		राज्य योजना	कोश	सी.ए. एम. पी.ए.	कुल
		आई0डी0 डब्ल्यू0एच0	आई0एफ0एम0				
भीमबंध	आवंटन	1.02	0.36	34.99	0.81	0	37.18
	व्यय	1.02	0.36	34.93	0.81	0	37.12
गौतम बुद्ध	आवंटन	0	0	0	0.57	0.05	0.62
	व्यय	0	0	0	0.54	0	0.54
कैमूर	आवंटन	4.17	0.51	52.01	2.64	0	59.33
	व्यय	3.94	0.51	51.98	2.56	0	58.99
राजगीर	आवंटन	0	0	0	1.75	0.25	2.00
	व्यय	0	0	0	1.40	0.23	1.63
उदयपुर	आवंटन	0	0	0	0.98	0	0.98
	व्यय	0	0	0	0.85	0	0.85
कुल	आवंटन	5.19	0.87	87.00	6.75	0.30	100.11
	व्यय	4.96	0.87	86.91	6.16	0.23	99.13

## (स) पाँच अन्य पक्षी अभयारण्य एवं डॉल्फिन अभयारण्य का आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

अभयारण्य का नाम	आवंटन/ व्यय	के0प्रा0यो0 <sup>2</sup>	13वां वित्त आयोग	राज्य योजना	कोश	सी.ए.एम. पी.ए.	कुल
बरैला प0अ0 <sup>3</sup>	आवंटन	0	0	0	0.39	0	0.39
	व्यय	0	0	0	0.39	0	0.39
कांवर झील प0अ0	आवंटन	0	0.01	0.11	0.26	0.09	0.47
	व्यय	0	0.01	0.11	0.26	0.09	0.47
कुशेश्वर स्थान प0अ0	आवंटन	0	0	0	0.19	0.01	0.20
	व्यय	0	0	0	0.14	0.01	0.15
नागी डैम प0अ0	आवंटन	0	0	0	0.28	0	0.28
	व्यय	0	0	0	0.28	0	0.28
नक्ती डैम प0अ0	आवंटन	0	0	0	0.17	0	0.17
	व्यय	0	0	0	0.17	0	0.17
कुल प0अ0	आवंटन	0	0.01	0.11	1.29	0.10	1.51
	व्यय	0	0.01	0.11	1.24	0.10	1.46
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य	आवंटन	0	0	0.02	0.32	0.09	0.43
	व्यय	0	0	0.02	0.21	0.07	0.30

अ + ब + स का कुल योग- निधि का आवंटन: ₹193.18 करोड़ एवं व्यय: ₹183.54 करोड़

(स्रोत: वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का नमूना-जाँच)

<sup>2</sup> केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना<sup>3</sup> संबंधित प्रमंडल के द्वारा वर्ष 2012-14 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.1; पृष्ठ-33)

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के दौरान तीन जिलों द्वारा किए गए वर्ष-वार व्यय और श्रम उपकरण की कटौती योग्य राशि (₹ लाख में)

क्रम सं.	जिला का नाम	विद्यालयों की संख्या	वर्ष-वार व्यय								कुल व्यय	एक प्रतिशत की दर से काटे जाने वाला श्रम उपकरण	कल्याण बोर्ड में जमा किया गया श्रम उपकरण	कटौती योग्य श्रम उपकरण
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)	
1	मधेपुरा	926	0	173.84	1,128.78	5,312.20	1,872.34	3,434.08	1,154.36	13,075.60	130.76	0	130.76	
2	पटना	1272	0	10.43	816.51	4,288.77	2,928.01	2,921.20	2,486.23	13,451.14	134.51	0	134.51	
3	सुपौल	989	0	299.33	522.39	3,218.99	1,886.27	2,010.39	1,630.84	9,568.22	95.68	0	95.68	
	कुल	3187	0	483.60	2,467.68	12,819.96	6,686.62	8,365.67	5,271.43	36,094.96	360.95	0	360.95	



## परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कडिका-3.1; पृष्ठ-33)

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के दौरान 35 जिलों द्वारा किए गए वर्ष-वार व्यय और श्रम उपकर की कटौती योग्य राशि

(₹ लाख में)

क्रम सं०	जिला का नाम	वर्ष-वार व्यय										कुल व्यय	एक प्रतिशत की दर से काटे जाने वाला श्रम उपकर	कल्याण बोर्ड में जमा किया गया श्रम उपकर	कटौती योग्य श्रम उपकर
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)			
1	अररिया	1,657.76	3,148.07	4,379.37	10,792.97	1,864.81	3,127.52	2,206.45	27,176.94	271.77	0.00	271.77			
2	अरवल	275.40	1,618.26	2,330.36	741.20	892.22	147.41	59.23	6,064.08	60.64	0.00	60.64			
3	औरंगाबाद	3,689.54	9,020.65	5,615.73	5,580.55	2,470.88	4,607.17	1,201.89	32,186.41	321.86	24.31	297.55			
4	बोका	2,303.21	2,785.81	1,717.78	1,858.09	2,746.89	132.70	189.51	11,733.97	117.34	0.00	117.34			
5	बेगूसराय	1,890.35	5,555.74	10,101.14	1,610.70	3,122.61	897.91	511.31	23,689.77	236.90	0.00	236.90			
6	भागलपुर	1,008.42	3,097.33	2,382.59	4,001.23	2,317.24	3,731.77	2,156.04	18,694.62	186.95	0.00	186.95			
7	भोजपुर	2,909.82	4,403.13	3,585.09	2,121.78	3,174.27	618.13	290.50	17,102.72	171.03	8.32	162.71			
8	बक्सर	0.00	7,458.36	2,456.77	4,711.10	1,344.93	2,873.02	1,791.68	20,635.86	206.36	0.00	206.36			
9	दरभंगा	4,524.60	9,528.01	6,747.39	3,637.79	48.45	1,911.52	280.98	26,678.75	266.79	0.00	266.79			
10	पूर्वी चम्पारण	7,234.83	9,006.82	9,006.82	2,921.79	2,656.46	1,496.83	280.19	32,603.73	326.04	0.00	326.04			
11	गया	1,699.49	10,719.21	4,317.59	11,675.99	4,029.39	5,144.64	1,084.75	38,671.07	386.71	42.14	344.57			
12	गोपालगंज	6,106.31	4,932.75	5,761.14	8,381.34	5,668.31	2,492.17	1,506.82	34,848.84	348.49	0.00	348.49			
13	जहानाबाद	1,023.08	3,452.44	835.58	602.07	2,351.00	591.34	1,247.54	10,103.03	101.03	10.82	90.21			
14	जमुई	1,507.90	777.05	1,914.32	3,883.25	2,386.49	978.21	331.52	11,778.74	117.79	0.00	117.79			
15	कैमूर	837.51	6,019.80	3,187.25	3,823.92	1,809.99	1,163.18	351.26	17,192.91	171.93	0.00	171.93			
16	कटिहार	2,274.19	44.50	5,377.64	12,679.17	5,958.22	3,337.61	2,173.47	31,844.79	318.45	0.61	317.84			
17	खगड़िया	65.80	3,651.92	1,723.12	5,871.40	2,589.90	1,661.13	691.42	16,254.69	162.55	0.00	162.55			
18	किशनगंज	2,014.63	5,495.25	2,543.44	2,475.73	3,505.97	606.89	978.58	17,620.50	176.21	0.00	176.21			



**परिशिष्ट-3.3**  
**(संदर्भ: कंडिका-3.2; पृष्ठ-34)**  
**श्रमिकों को वितरित किए गए अनुदान का वर्ष-वार ब्यौरा**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभार्थियों की सं. जिसके लिए बोर्ड द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया	कुल राशि स्वीकृत/स्थानांतरित	स्थानांतरण का तरीका	लाभार्थियों की सं० जिसको वास्तविक रूप से अनुदान वितरित हुआ	वास्तविक रूप से वितरित कुल राशि	बोर्ड/जिलों में शेष राशि	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7(3-6)	8
2011-12	9,718	14.58	चेक	8,560	12.84	1.74	भ०अ०नि०श्र०क०ब० के बैंक खातों में शेष राशि का पड़ा होना।
2012-13	1,068	1.60	चेक	1,027	1.54	0.06	
2013-14	2,758	4.14	चेक	2,550	3.82	0.32	
2014-15	3,745	5.62	श्र०अ० <sup>4</sup> गया को चेक	3,380	5.07	0.55	भ०अ०नि०श्र०क०ब० के बैंक खातों में शेष राशि का पड़ा होना।
	23,752	35.63	जिलों को एन०ई०एफ०टी.	23,425	35.14	0.49	जिलों के श्र०अ० द्वारा संधारित बैंक खाते में शेष राशि का पड़ा होना।
2015-16	979	1.47	श्र०अ० को आर०टी०जी०एस०	801	1.20	0.27	भ०अ०नि०श्र०क०ब० के बैंक खातों में शेष राशि का पड़ा होना।
	4,550	6.82	भ०अ०नि०श्र०क०ब० <sup>5</sup> द्वारा लाभुक को एन०ई०एफ०टी०	4,131	6.20	0.62	जिलों के श्र०अ० द्वारा संधारित बैंक खाते में शेष राशि का पड़ा होना।
2016-17	7,260	10.89	श्र०अ० को आर०टी०जी०एस० एवं श्र०अ० द्वारा एन०ई०एफ०टी०	7,109	10.66	0.23	जिलों के श्र०अ० द्वारा संधारित बैंक खाते में शेष राशि का पड़ा होना।
<b>कुल</b>	<b>53,830</b>	<b>80.75</b>		<b>50,983</b>	<b>76.47</b>	<b>4.28</b>	

<sup>4</sup> श्रम अधीक्षक<sup>5</sup> भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कड़िका-3.4; पृष्ठ-37)

13 प्रमंडलों के जोखिम एवं लागत राशि

क्रम सं०	प्रमंडल का नाम	योजनाओं की सं.	एक कार्य हेतु अनुबंध की लागत	पुराने अनुबंध के अनुसार कुल लागत	पूर्व में किए गए कार्य का मूल्य	अधूरे कार्य का मूल्य	संशोधित प्राक्कलन के अनुसार वांछित कुल राशि	अंतर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7(5-6)	8	9 (8-7)	10
(i)	अररिया	13		199.94	12.14	187.80	232.83	45.03	
(ii)	बेतिया	6		261.46	114.13	147.33	49.27	114.38	
		11					212.44		
(iii)	दरभंगा	4		169.18	37.85	131.33	41.09	42.56	
		7					132.80		
(iv)	ढाका	9		215.32	50.14	165.18	153.53	82.55	
		5					94.20		चूंकि शेष कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं था, दर खगड़िया के संशोधित प्राक्कलन ₹18.84 लाख से ली गई थी।
(v)	गोपालगंज	9	15.38	169.18	52.73	116.45	317.23	213.06	
		2					12.28		
(vi)	खगड़िया	10		153.80	15.66	138.14	176.71	38.57	
(vii)	मधुबनी	13		199.94	7.39	192.55	153.85	-38.70	
(viii)	मोतिहारी	5		107.66	90.78	16.88	16.51	37.31	
		2					37.68		चूंकि शेष कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं था, दर खगड़िया के संशोधित प्राक्कलन ₹18.84 लाख से ली गई थी।

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	योजनाओं की सं.	एक कार्य हेतु अनुबंध की लागत	पुराने अनुबंध के अनुसार कुल लागत	पूर्व में किए गए कार्य का मूल्य	अधूरे कार्य का मूल्य	संशोधित प्राक्कलन के अनुसार वांछित कुल राशि	अंतर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7(5-6)	8	9 (8-7)	10
(ix)	पूर्णिया	10		153.80	40.81	112.99	174.99	62.00	
(x)	सहरसा	5		123.04	56.52	66.52	47.92	37.92	
		3	15.38				56.52		चूंकि शेष कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं था, दर खगड़िया के संशोधित प्राक्कलन ₹18.84 लाख से ली गई थी।
(xi)	समस्तीपुर	25		355.46	225.53	129.93	174.79	44.86	कुछ मदों की मात्रा में परिवर्तन के कारण पुराने अनुबंध की कुल लागत कम हो गई थी (कॉलम सं0 5)
(xii)	शिवहर	10		153.80	68.09	85.71	114.75	29.04	
(xiii)	सुपौल	8		123.04	54.48	68.56	64.33	-4.23	
	कुल	157		2,385.62	826.25	1,559.37	2,263.72	704.35	या
								7.04 करोड़	

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कंडिका-3.4; पृष्ठ-37)

शेष 87 कार्यों की जोखिम एवं लागत राशि

(₹ लाख में)

क्रम सं०	प्रमंडल का नाम	स्वीकृत इकाई की सं०	इकाई की सं० जिस पर कार्य शुरू हुआ	कार्य नहीं शुरू हुआ	पुराने अनुबंध के अनुसार प्राक्कलित राशि 15.38 लाख की दर से	नए अनुबंध के अनुसार प्राक्कलित राशि 18.84 लाख <sup>6</sup> की दर से	अंतर (7-6)
1	2	3	4	5(3-4)	6	7	8
1	अररिया	20	15	5	76.91	94.21	17.30
2	बेतिया	25	17	8	123.05	150.73	27.68
3	दरभंगा	25	11	14	215.34	263.77	48.43
4	ढाका	15	14	1	15.38	18.84	3.46
5	गोपालगंज	20	11	9	138.43	169.57	31.14
6	खगड़िया	15	13	2	30.76	37.68	6.92
7	मधुबनी	25	21	4	61.53	75.36	13.83
8	मोतिहारी	25	16	9	138.43	169.57	31.14
9	पूर्णिया	25	10	15	230.72	282.62	51.90
10	सहरसा	15	10	5	76.91	94.21	17.30
11	समस्तीपुर	25	25	0	0	0	0
12	शिवहर	20	10	10	153.81	188.41	34.60
13	सुपौल	15	10	5	76.91	94.21	17.30
	<b>कुल</b>	<b>270</b>	<b>183</b>	<b>87</b>	<b>1,338.18</b>	<b>1,639.18</b>	<b>301.00</b> <b>या</b> <b>3.01 करोड़</b>

<sup>6</sup> दर खगड़िया प्रमंडल के स्वीकृत प्राक्कलन से लिया गया जो अनुबंध के विखंडित होने के बाद स्वीकृत हुआ।